भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 923

जिसका उत्तर सोमवार, 10 फरवरी, 2025/21 माघ, 1946 (शक) को दिया गया

सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों की कुल संख्या

923. श्री राजीव राय:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों की कुल संख्या कितनी है और तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) नए मंत्रालय के गठन के पश्चात् देश में सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों के विकास के लिए सरकार द्वारा आवंटित निधियों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्यवार कितने सहकारी बैंक कंम्प्यूटरीकृत अभिलेख नहीं रखते हैं;

(घ) क्या देश में ऐसे सहकारी बैंक हैं जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के संरक्षण के बिना सहकारी समितियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संचालित किए जाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ): सहकारी बैंक अंतर्निहित रूप से सहकारी सोसाइटी हैं जो राज्य के सहकारी सोसाइटी अधिनियम या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत हैं। जब सहकारी सोसाइटी बैंकिंग का कारोबार करते हैं तो वे आरबीआई के विनियामकीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं और उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी सोसाइटी पर यथा प्रयोज्य) के उपबंधों के अंतर्गत लाइसेंस दिया जाता है।

आरबीआई और नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में सहकारी बैंकों और सहकारी सोसाइटी की संख्या निम्नानुसार है:–

i) राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी)-34

ii) जिला मध्य सहकारी बैंक (डीसीसीबी)- 352

iii) नगरी सहकारी बैंक (यूसीबी)- 1465

(iv) सहकारी सोसाइटी- 8,21,605

सहकारी सोसाइटी, एसटीसीबी और डीसीसीबी का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध I** में दिया गया है।

नाबार्ड के पर्यवेक्षण में सभी सहकारी बैंकों को डिजिटाइज किया गया है और वे कोर बैंकिंग सोल्यूशन (सीबीएस) प्लेटफॉर्म पर कार्यरत हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण सोसाइटी के कंप्यूटरीकरण के लिए सरकार द्वारा आवंटित निधियों का ब्यौरा **अनुबंध II** में दिया गया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा सहकारी बैंकों सहित सहकारी सोसाइटी के विकास के लिए वितरित आर्थिक सहायता का ब्यौरा **अनुबंध III** में दिया गया है।

******

अनुबंध I

"सहकारी बैंकों और सहकारी सोसाइटी की कुल संख्या" के संबंध में दिनांक 10.02.2025 को उत्तर देने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 923 के भाग (क) से (ङ) के संदर्भ में विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य सहकारी बैंक	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक	सहकारी सोसाइटी
1	अंडमान और निकोबार	1	-	2228
2	आंध्र प्रदेश	1	13	17884
3	अरुणाचल प्रदेश	1	-	1287
4	असम	1	-	1165
5	बिहार	1	23	25868
6	चंडीगढ़	1	-	476
7	छत्तीसगढ़	1	6	10863
8	दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव	1	-	558
9	गोवा	1	-	5497
10	गुजरात	1	18	83501
11	हरियाणा	1	19	33251
12	हिमाचल प्रदेश	1	2	5404
13	जम्मू एवं कश्मीर	1	3	10089
14	झारखंड	1	1	11639
15	कर्नाटक	1	21	45115
16	केरल	1	1	10598
17	मध्य प्रदेश	1	38	53712
18	महाराष्ट्र	1	31	222457
19	मणिपुर	1	-	11453
20	मेघालय	1	-	3123
21	मिजोरम	1	-	1273
22	नागालैंड	1	-	8023
23	नई दिल्ली	1	-	5944
24	ओडिशा	1	17	7581
25	पुद्दुचेरी	1	-	461
26	पंजाब	1	20	19234
27	राजस्थान	1	29	40692
28	सिक्किम	1	-	3802
29	तमिलनाडु	1	24	22254
30	तेलंगाना	1	9	60517
31	त्रिपुरा	1	-	3155
32	उत्तर प्रदेश	1	50	44900
33	उत्तराखंड	1	10	5530
34	पश्चिम बंगाल	1	17	31758
कुल		**34**	**352**	**821605**

सहकारी बैंकों और सोसाइटी की राज्य-वार सूची

नोट:1. '-' कोई डीसीसीबी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में मौजूद नहीं है

अनुबंध II

"सहकारी बैंकों और सहकारी सोसाइटी की कुल संख्या" के संबंध में दिनांक 10.02.2025 को उत्तर देने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 923 के भाग (क) से (ङ) के संदर्भ में विवरण

पैक्स कम्प्यूटरीकरण के लिए आवंटित धनराशि (राशि करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आवंटित बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आवंटित बजट अनुमान	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवंटित बजट अनुमान
महाराष्ट्र	87.95	134.58	27.81
राजस्थान	23.78	78.06	52.42
गुजरात	0	106.7	44.37
उत्तर प्रदेश	11.28	43.87	50.88
कर्नाटक	40.25	61.58	21.17
मध्य प्रदेश	33.23	50.85	0
तमिलनाडु	33.2	49.84	24.95
बिहार	32.95	50.41	29.32
पश्चिम बंगाल	30.54	46.73	40.49
पंजाब	25.52	39.05	13.32
आंध्र प्रदेश	14.93	22.84	18.12
छत्तीसगढ़	14.86	22.75	20.41
हिमाचल प्रदेश	9.56	14.64	6.18
झारखंड	10.99	16.83	15.1
हरियाणा	4.85	8.33	3
उत्तराखंड	0	0	7.03
असम	6.41	9.81	6.6
जम्मू एंड कश्मीर	5.25	8.03	3.71
त्रिपुरा	2.95	4.5	3.03
मणिपुर	2.55	3.9	3.86
नागालैंड	0.36	0.56	3.2
मेघालय	1.23	1.13	1.97
सिक्किम	1.18	1.8	0.79
गोवा	0.32	0.5	0.44
एएनआई	0	1.33	0.84
पुद्दुचेरी	0.44	0.67	0.29
मिजोरम	0.27	0.43	0.44
अरुणाचल प्रदेश	0.15	0.24	0.09
लद्दाख	0	0.31	0.04
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	0	0	0.12

अनुबंध III

"सहकारी बैंकों और सहकारी सोसाइटी की कुल संख्या" के संबंध में दिनांक 10.02.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 923 के भाग (क) से (ङ) के संदर्भ में विवरण

सहकारी समितियों और बैंकों के लिए एनसीडीसी द्वारा संवितरित निधियां

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25*
1	अंडमान और निकोबार	0	1.69	0.56
2	आंध्र प्रदेश	9734.7	13,280.13	14732.69
3	अरुणाचल प्रदेश	0.38	-	0.16
4	असम	17.48	0.89	1.86
5	बिहार	4053.75	815.83	6.31
6	चंडीगढ़	0.03	-	0.00
7	छत्तीसगढ़	8502.24	18,991.35	28081.03
8	दमन और दीव	0	0.11	0.03
9	गोवा	0	-	0.03
10	गुजरात	370.8	586.99	297.89
11	हरियाणा	6655.24	9,887.36	12380.50
12	हिमाचल प्रदेश	12.91	1.85	4.12
13	जम्मू एंड कश्मीर	0.58	0.71	0.80
14	झारखंड	4.63	2.54	28.34
15	कर्नाटक	112.54	261.35	432.13
16	केरल	704.74	275.89	736.78
17	लक्षद्वीप			0.06
18	मध्य प्रदेश	284.4	322.86	290.07
19	महाराष्ट्र	751.16	2,101.42	3278.36
20	मणिपुर	30.38	6.60	0.39
21	मेघालय	0.14	0.22	0.12
22	मिजोरम	4.23	3.24	1.16
23	नागालैंड	1.2	0.67	0.52
24	ओडिशा	1.61	3.24	3.47
25	पंजाब	0.42	1,650.44	2000.22
26	पुद्दुचेरी	0.06	-	0.11
27	राजस्थान	4.91	66.09	67.33
28	सिक्किम	0.14	0.22	0.05
29	तमिलनाडु	30.49	4.28	19.29
30	तेलंगाना	9304.97	12,174.11	20982.36
31	त्रिपुरा	12.35	1.55	1.27
32	उत्तर प्रदेश	350.24	13.04	207.58
33	उत्तराखंड	10.5	149.13	4.56
34	पश्चिम बंगाल	63.36	4.96	2.94
35	दिल्ली + अन्य**	10.82	9.71	1016.55
	कुल	**41,031.40**	**60,618.47**	**84579.64**

** दिनांक 28.01.2025 की स्थिति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के आंकड़ा **अन्य में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी संघ शामिल हैं*